

# चोर समेत चैन खबर चैन खबर चैन खबर

स्वतंत्र भारत स्वातंत्र्यदाता लखनऊ।  
कैन्ट थाना क्षेत्र के मानिक चंद हनुमान  
गिर में लगे दानपात्र से चोरी करते  
दो चोरों को पकड़कर लोनों ने पुलिस  
के हवाले कर दिया। चोर की पहचान

कैन्ट के मुताबिक जनता के सहयोग  
से मानिक चंद हनुमान गीर निलगथा  
की दानपेट्टी से चोरी करते हुए  
अभियुक्त विकास सिंह व अफसर  
निलगथा बाजार निवारी नई बस्ती

शारदानगर निवारी को गिरफ्तार कर  
वैधानिक कार्रवाई करते हुए सलाखों  
के पीछे कर दिया। दूसरी तरफ  
ठाकुरगंज पुलिस टीम ने एक शक्ति  
चैन कुंठे को गिरफ्तार किया है।

निलगथा बाजार  
निवासी  
अफसर  
विकास सिंह के  
रूप में हुई। यह  
लोग दानपात्र से  
2000 रुपये  
चुराये थे।  
ठाकुरगंज,  
हसनगंज क्षेत्र में  
पुलिस ने चैन  
सेचरो को पकड़  
कर हवालात का  
रास्ता दिखा  
दिया। इन्स्पेक्टर

## लखनऊ

दिनांक: 18.03.2023  
22-23 की कार्य  
कता है :-

## सांगरिया

ईट  
रोड  
6.11  
न.मी.

RCC  
टाइल्स  
170  
वर्ग मी०

/आशा कर्ताओं  
। बजे तक जमा  
सदस्यों के समक्ष  
कोहस्ताक्षरी को

पान  
कुमार  
सहिजना

## कार्यालय नगर पालिका परिषद, नवाबगंज, बाराबंकी।

पत्रांक-3655/गोण्डा/2022-23

दिनांक-18.03.2023

### अल्पकालीन निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद, नवाबगंज, बाराबंकी के पंजीकृत ठेकेदारों तथा शारानादेश र/0 3800/नौ-5-19-149शा0/2019 नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 20 सितम्बर 2019 को अनुसार एतद्वारा सूचित किया जाता है कि पालिका निधि/राज्य विस्त में उपलब्ध धनराशि से एवं आयासीय अनुसूचना मद में प्राप्त धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों की निविदाये दिनांक 28.03.2023 को इस पालिका परिषद में रखे निविदा बाक्स में अपराह्न 2.00 बजे तक आमंत्रित की जायी है उक्त निविदाये उरसी दिवस में 3.00 बजे निविदादाताओं/प्रतिनिधियों की उपस्थिति में अधोहस्ताक्षरी के कक्ष में खोली जायेगी। समस्त निविदा प्रपत्र दिनांक 27.03.2023 को अपराह्न 2.00 बजे पालिका कार्यालय कोषागार में निर्धारित धनराशि जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं। उक्त निधियों में अयकाश होने की दशा में अगला कार्य दिवस गान्य होगा। समस्त निविदाओं के साथ पृथक-पृथक 10% जमानत धनराशि का एफ0डी0आर0/एन0एस0र0ी0 या अन्य प्रतिभूत प्रमाण-पत्र जो अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद नवाबगंज, बाराबंकी के पक्ष में बंधक हो, लगाना अनिवार्य होगा। कार्यों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि कोई भी अथवा समस्त निविदाये बिना कारण बताये अस्वीकृत/निरस्त कर दें जिसका कोई भी खलेम निविदादाता का मान्य न होगा। प्रत्येक निविदा के साथ 100.00 रुपये के स्टाम्प पेपर पर सघोषणा पत्र लगाना अनिवार्य होगा। निविदादाताओं को निविदा के साथ जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रदत्त नवीनतम चरित्र प्रमाण-पत्र/हैसियत प्रमाण-पत्र, जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र, चैन लगाना अनिवार्य होगा।

क्र. सं.	कार्य का नाम	व्ययानुमान	घरोहर धनराशि	टेण्डर शुल्क + 18% जी.एस.टी. + शारानादेश के अनुपालन में टेण्डर मूल्य	कार्या-वधि
1	नगर पालिका सीमान्तर्गत वार्ड दशहराबाग के ग्राम पैसास गाटा सं0-157 (मोहारीपुरवा) स्थित तालाब पर मिट्टी भराई का कार्य।	848518.00	85000.00	854 + 154 + 250+35 = 1293	1 माह
2	जिलाधिकारी बाराबंकी के आवास की छत पर स्थित केविल एवं विद्युत उपकरण के जीर्णोद्धार एवं बदलाय कार्य।	409484.00	41000.00	414 + 75 + 250+35 = 774	1 माह

### - शर्तें -

- 1- किसी भी टेस्टिंग पर आने वाले खर्च का वहन ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।
- 2- निर्माण कार्यों हेतु निविदादाता निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व कार्य एवं कार्य स्थल के बारे में भली-भांति परिचित हो लें।
- 3- निविदा स्वीकृत होने की दशा में सम्बन्धित ठेकेदार को शीघ्र-अतिशीघ्र अनुबन्ध करना होगा।
- 4- निविदा प्रपत्र के साथ अद्यतन हैसियत व चरित्र प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति लगाना अनिवार्य होगा।
- 5- उ0प्र0 भवन और सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा शर्त विनियम) नियमावली 2009 के अनुसार कार्य के निर्माण लागत का 1 प्रतिशत की दर से उपकर (सेस) की धनराशि सम्बन्धित बोर्ड को स्थानान्तरित की जायेगी। जिसको समाविष्ट करते हुए निविदादाता अपनी निविदा दर अंकित करें।
- 6- शासनादेश सं0-622/23-12-2012-2 आडिट/08टी0सी0 दिनांक 08.06.2012 के निहित निर्देशानुसार कार्यों की विभागीय दरों से ठेकेदारों द्वारा 10 प्रतिशत तक कम दर डालने पर 0.5 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत कम दर तथा 10 प्रतिशत से अधिक कम दर डालने पर 01 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत कम दर के अनुरूप परफार्मेशन गारण्टी ली जायेगी। उक्त धनराशि अनुबन्ध के समय जमा करने की बाध्यता होगी।
- 7- ठेकेदार के नाम निर्माण कार्य स्वीकृत होने की दशा में ठेकेदार को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम-1996 एवं तत्सम्बन्धित प्रदेश नियमावली-2009 के प्राविधानों के अन्तर्गत श्रमिक व निर्माण स्थल का पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
- 8- शासनादेश संख्या-1319/नौ-9-21-45ज/21 नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 30 जून 2021 द्वारा जारी नगर पालिका परिषद में निर्माण/विकास कार्यों के क्रियान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एस0ओ0पी0) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
- 9- जिलाधिकारी महोदय बाराबंकी के कार्यालय पत्र संख्या-2021/नाजिर सदर/2023 दिनांक 09 फरवरी 2023 द्वारा में दिये समस्त निर्देशों का अनुपालन करना होगा।

अधिशासी अधिकारी

नगर पालिका परिषद नवाबगंज,  
बाराबंकी।

अपर जिलाधिकारी (वि/रा) प्रशासक

नगर पालिका परिषद नवाबगंज,  
बाराबंकी।

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, गोण्डा वृत्त, लो.नि.वि., गोण्डा

पत्रांक:- 811/98 काम-गो.वृ./22-23

दिनांक:- 14/03/2023

अधिकारियों को निर्देश दिए कि संपूर्ण समाधान दिवस में आने वाली जन समस्याओं को गम्भीरता से सुनें तथा जन समस्याओं की शिकायतों का निस्तारण भी कराना सुनिश्चित करें।

की जाएगी। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान राजस्व विभाग, पुलिस विभाग तथा विकास विभाग सहित अन्य विभागों से संबंधित प्राप्त हुई। जिनके निस्तारण हेतु जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।

प्राप्त हुई जिनमें से 10 शिकायत का मौके पर निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी ने कहा जिन विभागों की शिकायतों का मौके पर निस्तारण नहीं हो सका है संबंधित अधिकारी

सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा जो भी निस्तारण किया जाए वह ससमय व गुणवत्तापूर्ण किया जाए, इसके किसी भी प्रकार की शिथिलता व लापरवाही न बरती जाए।

# कार्यालय नगर पालिका परिषद्, नवाबगंज, बाराबंकी।

दिनांक-18/03/2023

पत्रांक:-3655/मु0का0/2022-23

## अल्पकालीन निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद्, नवाबगंज, बाराबंकी के पंजीकृत ठेकेदारों तथा शासनादेश सं0 3890/नौ- 5-19-149सा0/2019 नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 20 सितम्बर 2019 के अनुसार एतद्वारा सूचित किया जाता है कि पालिका निधि/राज्यवित्त में उपलब्ध धनराशि से एवं आवासीय अनुरक्षण मद में प्राप्त धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों की निविदायें दिनांक 28.03.2023 को इस पालिका परिषद् में रखे निविदा बाक्स में अपराह्न 2:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। उक्त निविदायें उसी दिवस में 3:00 बजे निविदादाताओं/प्रतिनिधियों की उपस्थिति में अधोहस्ताक्षरी के कक्ष में खोली जायेगी। समस्त निविदा प्रपत्र दिनांक 27.03.2023 को अपराह्न 2.00 बजे पालिका कार्यालय कोषागार में निर्धारित धनराशि जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं। उक्त तिथियों में अवकाश होने की दशा में अगला कार्य दिवस मान्य होगा। समस्त निविदाओं के साथ पृथक-पृथक 10% जमानत धनराशि का एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 या अन्य प्रतिभूत प्रमाण-पत्र जो अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् नवाबगंज, बाराबंकी के पक्ष में बंधक हो, लगाना अनिवार्य होगा। कार्यों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बताये अस्वीकृत/निरस्त कर दें जिसका कोई भी वलेम निविदादाता का मान्य न होगा। प्रत्येक निविदा के साथ 100.00 रुपये के स्टाम्प पेपर पर स्वघोषणा पत्र लगाना अनिवार्य होगा। निविदादाताओं को निविदा के साथ जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रदत्त नवीनतम चरित्र प्रमाण-पत्र व हैसियत प्रमाण-पत्र, जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र, पैन लगाना अनिवार्य होगा।

क्र. सं.	कार्य का नाम	व्ययानुमान	धरोहर धनराशि	टेण्डर शुल्क+18% जीएसटी + शासनादेश के अनुपालन में टेण्डर मूल्य	कार्यावधि
1.	1. नगर पालिका सीमान्तगत वार्ड दशहराबाग के ग्राम पैसार गाटा सं0-157 (मोहारीपुरवा) स्थित तालाब पर मिट्टी भराई का कार्य।	848518.00	85000.00	854+154+250+35=1293	1 माह
2.	जिलाधिकारी बाराबंकी के आवास की छत पर स्थित केबिल एवं विद्युत उपकरण के जीर्णोद्धार एवं बदलव कार्य।	409484.00	41000.00	414+75+250+35 =774	1 माह

-: शर्त :-

1. किसी भी टेस्टिंग पर आने वाले खर्च का वहन ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।
2. निर्माण कार्यों हेतु निविदादाता निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व कार्य एवं कार्य स्थल के बारे में भली-भांति परिचित हो लें।
3. निविदा स्वीकृत होने की दशा में सम्बन्धित ठेकेदार को शीघ्र अतिशीघ्र अनुबन्ध करना होगा।
4. निविदा प्रपत्र के साथ अद्यतन हैसियत व चरित्र प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति लगाना अनिवार्य होगा।
5. 30प्र0 भवन और सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा शर्त विनियमन) नियमावली 2009 के अनुसार कार्य के निर्माण लागत का 1 प्रतिशत की दर से उपकर (सेस) की धनराशि सम्बन्धित बोर्ड को स्थानान्तरित की जायेगी। जिसको समाविष्ट करते हुए निविदादाता अपनी निविदा दर अंकित करें।
6. शासनादेश सं0-622/23-12-2012-2आडिट/08टी0सी0 दिनांक 08.06.2012 के निहित निर्देशानुसार कार्यों की विभागीय दरों से ठेकेदारों द्वारा 10 प्रतिशत तक कम दर डालने पर 0.5 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत कम दर तथा 10 प्रतिशत से अधिक कम दर डालने पर 01 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत कम दर के अनुरूप परफार्मेशन गारण्टी ली जायेगी। उक्त धनराशि अनुबन्ध के समय जमा करने की बाध्यता होगी।
7. ठेकेदार के नाम निर्माण कार्य स्वीकृत होने की दशा में ठेकेदार को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम-1996 एवं तत्सम्बन्धित प्रदेश नियमावली-2009 के प्राविधानों के अन्तर्गत श्रमिक व निर्माण स्थल का पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
8. शासनादेश संख्या-1319/ नौ-9-21-45ज/ 21 नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 30 जून 2021 द्वारा जारी नगर पालिका परिषद् में निर्माण/विकास कार्यों के क्रियान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एस0ओ0पी0) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
9. जिलाधिकारी महोदय बाराबंकी के कार्यालय पत्र संख्या-2021/नाजिर सदर / 2023 दिनांक 09 फरवरी 2023 द्वारा में दिये गये समस्त निर्देशों का अनुपालन करना होगा।

**अधिशासी अधिकारी,**  
नगर पालिका परिषद्,  
नवाबगंज बाराबंकी।

**अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/प्रशासक**  
नगर पालिका परिषद्,  
नवाबगंज बाराबंकी।